

# आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

## सूचना

विषय : अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र वर्ष-2020-21.

—x—

कर्मचारी हित निधि से वर्ष 2020-21 में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए रू0 1500/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति निम्न तीन श्रेणियों में देय है :-

1. लेबल-4 (ग्रेड पे रू0 2400/- ) से उपर के ग्रेड पे में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए।
2. लेबल-4 (ग्रेड पे रू0 2400/-) तक के रेल कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए।
3. लेबल-4 (ग्रेड पे 2400/-) तक के रेल कर्मचारियों के बालकों के लिए।

संलग्न आवेदन पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 10.12.2021 कार्मिक शाखा के कल्याण अनुभाग में भिजवाना सुनिश्चित करें। दिनांक 11.12.2021 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त छात्रवृत्ति भा0रे0स्था0 जिल्द-1-1985 संस्करण (द्वितीय पुर्नमुद्रित संस्करण-2003) के अध्याय-8 के नियम 805 तथा रेलवे बोर्ड के पत्र सं0-ई(डब्ल्यू) 2014/एफ. यू.-1/1 दिनांक 30.07.2014 के अधीन निम्नलिखित प्राथमिकता पर तय किये जायेगे।

प्राथमिकता- 1. कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. निम्न क्षेत्रों में डिग्री की पढ़ाई हेतु :-

- i मेडिकल- MBBS/BDS/B.V.Sc/BHMS, BAMS/BUMS, B.Pharmacy & M. Pharmacy etc.
- ii इंजीनियरिंग - B.Arch, B.E, ME, B.Tech & M.Tech.
- iii कम्प्यूटर विज्ञान- BCA, MCA & Computer Science.
- iv BBA, MBA, LLB & MBS.
- v CA, ICWA.
- vi B.Sc/M.Sc.- Agriculture Science, Home Science & Nursing etc.
- vii क्रम सं0 1 से 6 पाठ्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि संबंधित मद में धनराशि शेष रहेगी तब डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में विचार किया जायेगा।

आवेदन पत्रों के साथ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

सं0: एमसीएफ/आरबीएल/एसबीएफ/2019

दिनांक : 23.11.2021

संलग्न- आवेदन पत्र।



वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राज0

### प्रतिलिपि :

सचिव महाप्रबन्धक-महाप्रबन्धक महोदय के सूचनार्थ

समस्त विभागाध्यक्ष/उपविभागाध्यक्ष के सूचनार्थ।

समस्त कर्मचारी हित निधि समिति के सदस्यों के सूचनार्थ।

PS to PCPO एमसीएफ वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

सभी सूचना पट्ट।

## आवेदन पत्र

केवल लेबल-4 (ग्रेड पे रू0 2400 /) तक के रेल कर्मचारियों के बालकों के लिए।

मैं रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(W)2014/FU-1/1 dated 30.07.2014 के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये कर्मचारी हित निधि से अपने पुत्री के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करता हूँ :-

### भाग (क) कर्मचारी का विवरण :-

1. आवेदक कर्मचारी का नाम (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
2. पदनाम ..... कर्म0सं0 ..... बिल यूनिट सं0 .....
3. कार्यस्थल ..... फोन/मो0नं0 .....
4. ग्रेड पे रू0 ..... मूल वेतन लेवल नं0 सहित रू0.....
5. नियुक्ति तिथि..... आरेडिका/रायबरेली में नियुक्ति तिथि .....
6. वर्तमान पता .....
7. वर्ग/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य).....

### भाग (ख) विद्यार्थी का विवरण :-

1. विद्यार्थी का नाम : .....
2. आवेदक कर्मचारी से संबंध .....
3. क्या विद्यार्थी रेल कर्मचारी पास नियम 1986 के अन्तर्गत आश्रित है? यदि हाँ तो संबंधित पास अनुभाग से सत्यापन कराये।

### भाग (ग) उच्च शिक्षा का विवरण :-

1. पाठ्यक्रम का नाम : .....
2. पाठ्यक्रम की अवधि .....
3. पाठ्यक्रम के किस साल में पढ़ रहा है .....
4. शैक्षणिक सत्र .....यदि सेमेस्टर प्रणाली में हो तो सेमेस्टर का नाम.....
5. किस संस्थान का विद्यार्थी है .....
6. यह संस्थान किस विश्वविद्यालय से संबंधित है .....

### भाग (घ) पिछली शिक्षा का विवरण :-

परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल					
इंटरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
बीटेक/एमबीए/एमसीए					
एमबीबीएस/बीएएमएस					
बीफार्मा/बीआर्क.					
डिप्लोमा					
अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा					

(जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दे)



## भाग (ड.)

1. क्या कर्मचारी हित निधि आरेडिका/रायबरेली से पहले छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ था, यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दे .....

(मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है इसमें किसी भी तरह का असत्य विवरण देने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।)

दिनांक .....

कर्मचारी का हस्ताक्षर

भाग (ख) में दी गई सूचना पास घोषणा के आधार पर सत्यापित की जाती है।

हस्ताक्षर (पास अनुभाग प्रभारी) मुहर सहित

सचिव कर्मचारी हित निधि को अग्रसारित

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट :-

1. कृपया पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक की प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. फीस की रसीद की सत्यापित फोटो कापी संलग्न करें।
3. कृपया पे स्लिप की छायाप्रति संलग्न करें।
4. कृपया बोनाफाइड प्रमाण संलग्न करें।
5. कृपया शिक्षण संस्थान के पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।



## संस्था के प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला बोनाफाइड प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र .....  
हमारे शिक्षा संस्थान के बोनाफाइड छात्रा है। ..... इस  
संस्थान के शिक्षा सत्र ..... से ..... पाठ्यक्रम ..... में पढ रही  
है।
2. इनका वर्तमान सत्र वर्ष ..... है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... इस संस्थान से  
किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे है।
4. यह संस्थान ..... एवं .....  
..... से मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान की परीक्षा .....  
..... द्वारा ली जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर  
प्राचार्य  
संस्थान की मुहर





## आवेदन पत्र

केवल लेबल-4 (ग्रेड पे रू0 2400 /) तक के रेल कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए।

मैं रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(W)2014/FU-1/1 dated 30.07.2014 के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये कर्मचारी हित निधि से अपने पुत्री के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करता हूँ :-

### भाग (क) कर्मचारी का विवरण :-

8. आवेदक कर्मचारी का नाम (हिन्दी में) .....
- (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
9. पदनाम ..... कर्म0सं0 ..... बिल यूनिट सं0 .....
10. कार्यस्थल ..... फोन/मो0नं0 .....
11. ग्रेड पे रू0 ..... मूल वेतन लेवल नं0 सहित रू0.....
12. नियुक्ति तिथि..... आरेडिका/रायबरेली में नियुक्ति तिथि .....
13. वर्तमान पता .....
14. वर्ग/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य).....

### भाग (ख) विद्यार्थी का विवरण :-

4. विद्यार्थी का नाम : .....
5. आवेदक कर्मचारी से संबंध .....
6. क्या विद्यार्थी रेल कर्मचारी पास नियम 1986 के अन्तर्गत आश्रित है? यदि हों तो संबंधित पास अनुभाग से सत्यापन कराये।

### भाग (ग) उच्च शिक्षा का विवरण :-

7. पाठ्यक्रम का नाम : .....
8. पाठ्यक्रम की अवधि .....
9. पाठ्यक्रम के किस साल में पढ़ रहा है .....
10. शैक्षणिक सत्र .....यदि सेमेस्टर प्रणाली में हो तो सेमेस्टर का नाम.....
11. किस संस्थान का विद्यार्थी है .....
12. यह संस्थान किस विश्वविद्यालय से संबंधित है .....

### भाग (घ) पिछली शिक्षा का विवरण :-

परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल					
इंटरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
बीटेक/एमबीए/एमसीए					
एमबीबीएस/बीएएमएस					
बीफार्मा/बीआर्क.					
डिप्लोमा					
अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा					

(जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दे)

कृ0प0उ0



2. क्या कर्मचारी हित निधि आरेडिका/रायबरेली से पहले छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ था, यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दे .....

(मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है इसमें किसी भी तरह का असत्य विवरण देने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।)

दिनांक .....

कर्मचारी का हस्ताक्षर

भाग (ख) में दी गई सूचना पास घोषणा के आधार पर सत्यापित की जाती है।

हस्ताक्षर (पास अनुभाग प्रभारी) मुहर सहित

सचिव कर्मचारी हित निधि को अग्रसारित

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट :-

6. कृपया पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक की प्रति अवश्य संलग्न करें।
7. फीस की रसीद की सत्यापित फोटो कापी संलग्न करें।
8. कृपया पे स्लिप की छायाप्रति संलग्न करें।
9. कृपया बोनाफाइड प्रमाण संलग्न करें।
10. कृपया शिक्षण संस्थान के पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।



## संस्था के प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला बोनाफाइड प्रमाण पत्र

5. प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्री .....  
हमारे शिक्षा संस्थान के बोनाफाइड छात्रा है। ..... इस  
संस्थान के शिक्षा सत्र ..... से ..... पाठ्यक्रम ..... में पढ़ रही  
है।
6. इनका वर्तमान सत्र वर्ष ..... है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... इस संस्थान से  
किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे है।
8. यह संस्थान ..... एवं .....  
..... से मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान की परीक्षा .....  
..... द्वारा ली जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर  
प्राचार्य  
संस्थान की मुहर





## आवेदन पत्र

200  
8

लेबल-4 (ग्रेड पे रू0 2400/- ) से उपर के ग्रेड पे में अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए।  
मैं रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(W)2014/FU-1/1 dated 30-07-2014 के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये  
कर्मचारी हित निधि से अपने बच्चे के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करता हूँ :-

### भाग (क) कर्मचारी का विवरण :-

1. आवेदक कर्मचारी का नाम (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
2. पदनाम ..... कर्म0सं0 ..... बिल यूनिट सं0 .....
3. कार्यस्थल ..... फोन/मो0नं0 .....
4. ग्रेड पे रू0 ..... मूल वेतन लेवल नं0 सहित रू0.....
5. नियुक्ति तिथि..... आरेडिका/रायबरेली में नियुक्ति तिथि .....
6. वर्तमान पता .....
7. वर्ग/श्रेणी .....

### भाग (ख) विद्यार्थी का विवरण :-

1. विद्यार्थी का नाम : .....
2. आवेदक कर्मचारी से संबंध .....
3. क्या विद्यार्थी रेल कर्मचारी पास नियम 1986 के अन्तर्गत आश्रित है? यदि हाँ तो संबंधित पास अनुभाग से सत्यापन कराये।

### भाग (ग) उच्च शिक्षा का विवरण :-

1. पाठ्यक्रम का नाम : .....
2. पाठ्यक्रम की अवधि .....
3. पाठ्यक्रम के किस साल में पढ़ रहा है .....
4. शैक्षणिक सत्र .....यदि सेमेस्टर प्रणाली में हो तो सेमेस्टर का नाम.....
5. किस संस्थान का विद्यार्थी है .....
6. यह संस्थान किस विश्वविद्यालय से संबंधित है .....

### भाग (घ) पिछली शिक्षा का विवरण :-

परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल					
इंटरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
बीटेक/एमबीए/एमसीए					
एमबीबीएस/बीएएमएस					
बीफार्मा/बीआर्क.					
डिप्लोमा					
अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा					

(जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दे)

कृ0प0उ0





### भाग (ड.)

1. क्या कर्मचारी हित निधि आरेडिका/रायबरेली से पहले छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ था, यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दे .....

(मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है इसमें किसी भी तरह का असत्य विवरण देने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।)

दिनांक .....

कर्मचारी का हस्ताक्षर

भाग (ख) में दी गई सूचना पास घोषणा के आधार पर सत्यापित की जाती है।

हस्ताक्षर (पास अनुभाग प्रभारी) मुहर सहित

सचिव कर्मचारी हित निधि को अग्रसारित

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट :-

1. कृपया पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक की प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. फीस की रसीद की सत्यापित फोटो कापी संलग्न करें।
3. कृपया पे स्लिप की छायाप्रति संलग्न करें।
4. कृपया बोनाफाइड प्रमाण संलग्न करें।
5. कृपया शिक्षण संस्थान के पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

## संस्था के प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला बोनाफाइड प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र .....  
हमारे शिक्षा संस्थान के बोनाफाइड छात्र/छात्रा है। .....  
इस संस्थान के शिक्षा सत्र ..... से ..... पाठ्यक्रम ..... में पढ़  
रहे है।
2. इनका वर्तमान सत्र वर्ष ..... है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... इस संस्थान से  
किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे है।
4. यह संस्थान ..... एवं .....  
..... से मान्यता प्राप्त है। इस संस्थान की परीक्षा .....  
..... द्वारा ली जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर  
प्राचार्य  
संस्थान की मुहर



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली  
कार्मिक विभाग

200  
11  
3  
N-156  
1  
221

सं० : एमसीएफ/आरबीएल/वेल/एसबीएफ

दिनांक : 31.05.2018

कर्मचारी हित निधि नियमावली शुद्धि पत्र

विषय : कर्मचारी हित निधि नियमावली में शुद्धि पत्र (Corrigendum) के संबंध में।

कर्मचारी हित निधि नियमावली में देय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

- (क) रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(W)85FUI-4 dt. 19.11.85 के अनुसार एसबीएफ से तकनीकी छात्रवृत्ति हेतु उक्त तकनीकी संस्थान से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता न प्राप्त करने का प्रमाण पत्र देय होगा।
- (ख) चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी के डिग्री कोर्स को सर्वोच्च वरीयता दी जायेगी।
- (ग) चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी के डिप्लोमा कोर्स को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
- (घ) उपरोक्त ख और ग की वरीयता निर्धारित करने के बाद डिग्री कोर्स के शुद्ध विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, आर्कीटेक्चर एवं इनवायरमेंट प्लानिंग को वरीयता प्रदान की जायेगी। इसके पश्चात इन्हीं पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा कोर्स को वरीयता दी जायेगी।
- (ङ) कर्मचारी हित निधि से उच्च शिक्षा हेतु देय छात्रवृत्ति के लिए अन्य पाठ्यक्रम जैसे बीएससी आईटी एमएससी आईटी, कम्प्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, विधि विषयों जैसे एलएलबी, बीबीए, एवं कृषि विज्ञान माध्यम से बीएससी एवं एमएससी कोर्स को भी शामिल किया जाए।
- (च) छात्रवृत्ति हेतु दावेदारों की संख्या अधिक होने पर जिन कर्मचारियों का मूल वेतन सबसे कम होगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
- (छ) चूंकि कर्मचारी हित निधि समिति, आरेडिका रायबरेली प्रारंभिक अवस्था में है और वर्तमान में शिक्षा में अनेक पाठ्यक्रम होते हैं जिन्हें लिखित तौर पर उद्धृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए समिति को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार होना चाहिए।
- (ज) सेवानिवृत्ति के बाद या प्रतिनियुक्ति पर आये लोगों को छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की जा सकती है।
- (झ) यदि किसी कर्मचारी के दो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं तो प्राथमिकता एक ही बच्चे को दी जायेगी परन्तु यदि निधि उपलब्ध हो तो दूसरे बच्चे के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।
- (ञ) यदि किसी विधार्थी को एकबार छात्रवृत्ति प्रदान करना स्वीकार कर ली जाती है तो वह पाठ्यक्रम पूरा होने तक छात्रवृत्ति का पात्र बना रहता है, भले ही कर्मचारी की मृत्यु या अपाहिज होने अथवा सेवानिवृत्त हो जाए।
- (ट) कर्मचारी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद, प्रशासन द्वारा रेल सेवा से हटाने से कर्मचारी के छात्र बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

  
सहायक कार्मिक अधिकारी/कल्याण  
सचिव, कर्मचारी हित निधि

- प्रतिलिपि :-
01. मुख्य कार्मिक अधिकारी।
  02. मुख्य अभियंता।
  03. मुख्य चिकित्साधिकारी।
  04. समस्त कर्मचारी प्रतिनिधि।